न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

जी.सी.एम.नम्बर 2023/479

1. कानाराम पुत्र स्व श्री हनुमान सहाय, उम्र 32 वर्ष,
2. श्रीमति मूंगी देवी पत्नि स्व. श्री हनुमान सहाय, उम्र 62 वर्ष,
3. श्रीमति कांता देवी पुत्री स्व श्री हनुमान सहाय, उम्र 40 वर्ष,
4. श्रीमति सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय, उम्र 35 वर्ष,
5. अनोप पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय, उम्र 2 वर्ष,
   समस्त जाति जाट निवासी डागरों की ढाणी ग्राम चीथवाडी, पुलिस थाना सामोद, जिला जयपुर, राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, चौमूँ, जिला जयपुर ।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।
3. ग्राम पंचायत, चीथवाडी, जिला जयपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत, चीथवाडी, जिला जयपुर ।
4. नन्दलाल पुत्र स्व. श्री भगवाना, जाति जाट निवासी डागरों की ढाणी ग्राम चीथवाडी, पुलिस थाना सामोद, जिला जयपुर, राजस्थान।

–रेस्पोडेण्ट्स

5. राधा देवी पुत्री स्व. श्री महादेव
6. कानाराम पुत्र स्व. श्रीमति मन्नी देवी
7. छीतर पुत्र स्व. श्रीमति मन्नी देवी
8. भैंरू पुत्र स्व. श्रीमति मन्नी देवी
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भैंरू खेजडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
9. सुवालाल पुत्र स्व. श्री भगवाना, जाति जाट निवासी डागरों की ढाणी ग्राम चीथवाडी, पुलिस थाना सामोद, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. सोनी देवी पुत्री स्व. श्री भगवाना, जाति जाट निवासी कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, राजस्थान।
11. रूडी पुत्री स्व. श्री भगवाना, जाति जाट निवासी ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
12. केशर देवी पुत्री स्व श्री भगवाना जाति जाट निवासी कचौलिया कस्बा चौमूं, जिला जयपुर ।

–प्रोफोर्मा रेस्पोन्डेन्ट्स

सिविल नियमित अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 01/09/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप–जिला मजिस्ट्रेट, चौमूं जिला जयपुर द्वारा उनवानी प्रकरण नन्दलाल बनाम ग्राम पंचायत चीथवाडी व अन्य मुकदमा संख्या 04/2022 में पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 (नन्दलाल दत्तक पुत्र स्व. श्री नानूराम) की उक्त अपील दिनांक 01/09/2022 को निर्णित की जा कर डिक्री आदेश जारी किये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री राकेश कुमावत वकील अपीलान्ट
2. श्री श्रवण कुमार चोपडा वकील रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.09.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 4 नन्दलाल पुत्र स्व. श्री भगवाना ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष वाके ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3122 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3123 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 050 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3568 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3569 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3571 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3573 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3584 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3585 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3586 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3587 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 9 का कुल रकबा 3.19 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3559 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3574 रकबा 046 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3571/4116 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3570 रकबा 0.03 हैक्टेयर किता 1 का कुल रकबा 003 हैक्टेयर 137 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के ग्राम पंचायत चीथवाडी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 541 दिनांक 20.10.2004 को गलत बताते निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2022 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 541 दिनांक 20.10.2004 निरस्त कर तहसीलदार चौमू को प्रकरण दर्ज कर मृतक नानूराम पुत्र महादेव के विधिक वारिसान की जॉच कर हितबद्व पक्षकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस में किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 01.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट कानाराम पुत्र स्व श्री हनुमान सहाय वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 01.09.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित उक्त विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि रही है जो बाद इन्तकाल मूल खातेदार महादेव के, विरासत में महादेव की पुत्र सन्तानो क्रमशः नानूराग, भगवान व हनुमान तथा राधादेवी व स्वर्गीय मन्नीदेवी को विरासत में निहित हुई व सभी काश्तकार अपने–अपने संयुक्त हिस्से की भूमि पर काबिजकाश्त होकर समस्त लाभ उठाते चले आते रहे। कालान्तर में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्टस् के पिता हनुमान का स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलान्टस् के चाचा भगवान उर्फ भगवान सहाय के पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 को अपीलान्टस् के पिता स्व. श्री हनुमान सहाय का दत्तक पुत्र दर्शाते हुये उसके नाम नामान्तकरण कार्यवाही की गई है। जबकि अपीलान्टस् के पिता द्वारा किसी को भी अपना दत्तक पुत्र ग्रहण करने की कोई कार्यवाही कभी अपने जीवनकाल में नहीं की गई अन्यथा अपीलान्टस् को आवश्यक रूप से इसकी जानकारी होती । लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा बाला–बाला ही उक्त समस्त कार्यवाही को अपने हक में राजस्व रेकार्ड में स्वयं को अपीलान्टस् के पिता के दत्तक पुत्र के रूप में संयोजित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद का कोई भी सम्मन नोटिस ना तो अपीलान्टस् के नाम से सही पते का जारी हुआ बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा पेश बिना किसी सबूत, साक्ष्य व अखकार साया में प्रकाशित सूचना के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा पेश वाद/अपील के तथ्यों को सही मानकर कतई अविधिक रूप से आदेश/निर्णय अपीलाधीन एवं डिकी दिनांक 01/09/2022 पारित करने में अहम भूल की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2022 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 541 दिनांक 20.10.2004 निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये एवं बिना विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर दिनांक 01.09.2022 निरस्त किया किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्व0 महादेव के पुत्र नानूराम की जीवनकाल में सेवा नन्दलाल द्वारा करने पर नानूराम ने नन्दलाल को अपना दत्तक/वारिस माना तथा उसके मृत्यु उपरान्त समस्त क्रियाक्रम व अन्य सामाजिक कार्यक्रम बतौर दत्तक पुत्र सम्पादित किये गये। नानूराम दिनांक 29.01.2004 को नाऔलाद फौत हुआ जिससे नन्दलाल उसका एकमात्र दत्तक पुत्र होने से विरासत का नामान्तरकरण में नानूराम की हक की आराजी में नन्दलाल विधिक उत्तराधिकारी है। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या संख्या 541 दिनांक 20.10.2004 को लेकर है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2022 के लगभग 14 महिनों बाद अपील पेश की है एवं प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 में स्वयं ने यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त हो गई थी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

संभागीय आयुक्त

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 01.09.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।